२०

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 8, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यदेव कटारे, राज्यमंत्री, गृह, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मैनाहा में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री गौरीशंकर बिसेन, रविन्द्र चौबे, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न हो पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री शंकर प्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 28 अगस्त, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्रमांक 1969) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 1995-96 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1995-96 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत कटौती, विद्युत उत्पादन में कमी तथा किसानों को विद्युत आपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः)

9. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

निर्धारित समय

45 मि. (1) प्रदेश की अधूरी एवं लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में श्री उदय मुदलियार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

45 मि. (2) प्रदेश के बढ़ते औद्योगीकरण एवं लगने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार हेतु ठोस कदम उठाने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

10. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 में की गई अनुशंसाओं के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन पर चर्चा.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 नवम्बर, 1995